

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1-2000/642-645

दिनांक 25-5-2000

विषय :- माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

परमार पब्लिक स्कूल गाँव पावता  
सेन सोहना रोड फरीदाबाद को L-4-2000 से छठी से आठवीं कक्षा (मिडिल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद्ध की स्वकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्च पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लेज्ड न कराई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी० पी० एफ० की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजुकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमिता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सी० डब्ल्यू० एफ० रेडकास तथा स्पोर्ट्स फंड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय बैंक कर सकता है ।
9. एजुकेशन कोड की धारा 2159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा ।

Principal  
**Pinewood International**  
Boarding School  
VIII Pawta, Main Sohna Road,  
Faridabad (Haryana)

जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद ।

पृष्ठ क्रमांक :

दिनांक :- 25-5-2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।
2. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी पलवल/फरीदाबाद ।
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।
4. बी०एस०ई० भिवानी ।

Principal  
**Pinewood International**  
Boarding School  
Main Sohna Road, Vill. Pawta, Faridabad

जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद